

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

टिकट कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 10 फरवरी, 1999 (मार्च 21, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रस्तोत्तर

पृथक्कर्ता वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगी तथा उनके उत्तर किये जायेगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, खनिज साधन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-की तथा (उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार मैनेज और (इंडिया) लिमिटेड की उम्मीदों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री लिखीराम कावरे, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरव्हाइन कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 लान् 1991) की धारा 21 की तथा (उपधारा (उ) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-10-98-आठ, दिनांक 25 अगस्त, 1998 पटल पर रखेंगे।

उ. नियम 139 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री रमेश सक्सेना, सदस्य, राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के सीहोर स्थित संघीय से सोयाबीन तेल बिक्री में की जा रही अनियमितता की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री डोमेन्ड भेड़िया, सदस्य, उत्तीसगढ शेज में गुडाखू निर्माण से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री अम का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य, द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 1999 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर ध्यान आकर्षित करेंगे (क्रमशः)

“राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।”

भोपाल :
दिनांक : 9 फरवरी, 1999

के.पी. लिवारी
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा